# फर्द अहकाम
## कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री किशनसिंह पिता भेरूसिंह रावत निवासी बालोतो की गुआर तहसील भीम जिला राजसमन्द– राजस्थान

**– प्रार्थी**

**बनाम**

चान्दमल पिता श्री फतहलाल जाति जैन आयु बालिग निवासी आदिनाथ रेजिडेन्सी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)। वगैराह कुल 09

**– अप्रार्थीगण**

किस्म मुकदमा – नामान्तरण अपील **पत्रावली संख्या 40/2019**

| क्रमांक | कार्यवाहिक विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 12.07.2024** वकु0 पक्ष0 उपस्थित/रेस्पोडेन्ट संख्या 1,3,4,5,6,7 व 8 अनु0/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की धारा 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा राजस्व ग्राम भीम पटवार हल्का भीम के खसरा संख्या 10417 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि के संबंध में तहसीलदार द्वारा रेस्पो0 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर स्वीकृत नामान्तरण संख्या 5262 दिनांक 23.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील बेरूल मयाद हैं। नामान्तरण की अपील 30 दिन की अवधी में प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान हैं। यह अपील एक वर्ष से भी अधिक समय बाद प्रस्तुत की गई है और मयाद माफी का कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया हैं। इसलिए अपील बेरूल मयाद होने से खारिज फरमाई जावें। अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 5262 को ही चुनौती दी हैं। पश्चातवर्ती नामान्तरण को चुनौती नही दी हैं। ना ही उन्हे पक्षकार बनाया हैं। अपीलार्थी द्वारा तथ्य छिपाकर यह अपील पेश की हैं जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग हैं। अपीलार्थी के पिता भैरू सिंह द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 31.06.1968 से भूमि विक्रय की है और उसके आधार पर नामान्तरण स्वीकृत हुआ है जो वैध और सही हैं। विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध शुन्य घोषित कराये बिना नामान्तरण को चुनौती नही दी जा सकती हैं। उक्त भूमि के संबंध में नियमित वाद अपीलार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भीम में प्रकरण संख्या 90/ 2019 किशन सिंह बनाम चॉदमल वगैराह प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन होने के तथ्य छीपाकर यह अपील पेश की हैं। इन्ही पक्षकारो के मध्य नियमित वाद विचाराधीन हैं। ऐसी स्थिति में नामान्तरण की अपील से पक्षकारान के वैध हक अधिकार निर्णित नही किये जा सकते हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील | |

इसी आधार पर सव्यय खारिज  फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा धारा 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा मयाद माफी का प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में पेश कर रखा हैं। भैरू सिंह जो देवा के पुत्र होकर अपीलार्थी के पिता है, के द्वारा कभी भी अपने हिस्से की कोई भी आराजी विक्रय नही की थी बल्कि भेरू सिंह उर्फ भेरा पिता तेजा द्वारा आराजी संख्या 5532 में से 1/4 हिस्सा विक्रय किया था अपीलार्थी भेरूसिंह जो की देवा के पुत्र है, के वारिस हैं न कि भेरूसिंह उर्फ भेरा पिता तेजा के वारिस हैं। तथाकथित विक्रय विलेख भेरूसिंह उर्फ भेरा पिता तेजा द्वारा निष्पादित किया गया। अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्षकारान के अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर सुना गया। विपक्षी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दाहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा राजस्व ग्राम भीम पटवार हल्का भीम के खसरा संख्या 10417 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि के संबंध में तहसीलदार द्वारा रेस्पो0 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर स्वीकृत नामान्तरण संख्या 5262 दिनांक 23.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील बेरूल मयाद हैं। नामान्तरण की अपील 30 दिन की अवधी में प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान हैं। यह अपील एक वर्ष से भी अधिक समय बाद प्रस्तुत की गई है और मयाद माफी का कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया हैं। इसलिए अपील बेरूल मयाद होने से खारिज फरमाई जावें। अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 5262 को ही चुनौती दी हैं। पश्चातवर्ती नामान्तरण को चुनौती नही दी हैं। ना ही उन्हे पक्षकार बनाया हैं। अपीलार्थी द्वारा तथ्य छिपाकर यह अपील पेश की हैं जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग हैं। अपीलार्थी के पिता भैरू सिंह द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 31.06.1968 से भूमि विक्रय की है और उसके आधार पर नामान्तरण स्वीकृत हुआ है जो वैध और सही हैं। विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध शुन्य घोषित कराये बिना नामान्तरण को चुनौती नही दी जा सकती हैं। उक्त भूमि के संबंध में नियमित वाद अपीलार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भीम में प्रकरण संख्या 90/ 2019 किशन सिंह बनाम चॉदमल वगैराह प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन होने के तथ्य छीपाकर यह अपील पेश की हैं। इन्ही पक्षकारो के मध्य नियमित वाद विचाराधीन हैं। ऐसी स्थिति में नामान्तरण की अपील से पक्षकारान के वैध हक अधिकार निर्णित नही किये जा सकते हैं। उक्त अपील से पूर्व अपीलार्थी द्वारा सहायक कलक्टर भीम के यहॉ पर वाद प्रस्तुत कर रखा है तत्पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई है जो पश्चावर्ती कार्यवाही होने से वाद के निस्तारण तक उक्त कार्यवाही को स्थगित फरमाई जावें तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होने से एवं अपील बेरूल मयाद होने से खारिज फरमाई जावें।

Bullu

कार्यालय जिला कलक्टर

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा बहस में निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के प्रावधान वाद में लागु होते हैं। अपीलार्थी द्वारा मयाद माफी का प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में पेश कर रखा हैं। भैरू सिंह जो देवा के पुत्र होकर अपीलार्थी के पिता है, के द्वारा कभी भी अपने हिस्से की कोई भी आराजी विक्रय नही की थी बल्कि भेरू सिंह उर्फ भेरा पिता तेजा द्वारा आराजी संख्या 5532 में से 1/4 हिस्सा विक्रय किया था अपीलार्थी भेरूसिंह जो की देवा के पुत्र है, के वारिस हैं न कि भेरूसिंह उर्फ भेरा पिता तेजा के वारिस हैं। तथाकथित विक्रय विलेख भेरूसिंह उर्फ भेरा पिता तेजा द्वारा निष्पादित किया गया। साथ ही अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तरण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। नामान्तरण में वर्णित भूमि के संबंध में स्वयं अपीलार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भीम में नियमित वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा निषेधाज्ञा हेतु किशन सिंह बनाम चॉदमल वगैराह के अनवान से प्रकरण संख्या 90/2019 राजस्व वाद एवं 57/2019 प्रार्थना पत्र धारा 212 R.T.Act के तहत प्रस्तुत कर रखे हैं जो उक्त अपील से पूर्व प्रस्तुत कर विचाराधीन हैं जो पत्रावली पर उपलब्ध अभीलेख से प्रमाणित हैं। अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरणों के तथ्यों को छिपाकर यह अपील प्रस्तुत की हैं जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग हैं। इसलिए रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील धारा 151 जाप्ता दिवानी के प्रावधानो के तहत न्यायिक प्रक्रिया का दुरूप्योग करने होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं।

**पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।**

Bulla

**(डॉ. भंवर लाल)**
**जिला मजिस्ट्रेट**
**राजसमन्द**

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)